

दिनांक	आज्ञा पत्र
20.1.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी रहे। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते बस्वी रिकार्ड दिनांक 29.3.23 को पेश हों।
29.3.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी रहे। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते बस्वी रिकार्ड दिनांक 12.6.23 को पेश हों।
13.6.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पोंडेंटपरिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 20 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.8.23 को पेश हो।
29.8.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पोंडेंटपरिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29.11.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 6.11.23 को पेश हो।
6.11.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पोंडेंटपरिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 2.2.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 12.2.23 को पेश हो।
13/2/24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पोंडेंटपरिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29.11.24 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.11.24 को पेश हो।
29.4.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्ययिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 9.4.24 को पेश हो।
9.7.24	पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। कलस्वरुप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय पर इजलास मुनया गया। पत्रावली केवल सुधार होकर नब्बे से कम होकर आठ तकमील तकमील तकमील तकमील हो।

रजि नोटिस
1479-91 / 9-2-24
वहरीर जारी
1478
9-2-24

LC फावली ही 392/2022



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्डान्न)